फर्द अहकाम

न्यायालय ____________________

____________________ बनाम ____________________

मुकदमा संख्या / वर्ष : ____________ / 20__

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	17/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थिया उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया। अप्रार्थी का जवाब बंद किया जाता है। वास्ते बहस T.I. हेतु पत्रावली दिनांक 27/2/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	27/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वास्ते T.I. बहस हेतु पत्रावली दिनांक 20/3/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
(Adv प्रार्थी)	20/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

ठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
र्थना पत्र : 279/2024 (72/2019)
र्णय दिनांक: 20.03.2025

उनवान

गदीश नारायण पुत्र श्री देवबक्ष जाति बागडा ब्राम्हण उम्र 62 वर्ष निवासी रावडियों की
ाणी मुहाना, तहसील सांगानेर, जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

नानगराम
रामसहाय
गोपाल
लालचन्द पुत्रान केसरा
छीतर पुत्र रूग्घा
प्रभूनारायण
हनुमान
राजूलाल पुत्रान भूरा
जातियान बागडा ब्राम्हण निवासीयान रावडियों की ढाणी ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि आज प्रार्थीगण–प्रार्थी ने अप्रार्थीगण–अप्रार्थीगण के विरुद्ध उक्त शीर्षकीय वाद पत्र ठोस व सुदृढ तथ्यों के आधार पर श्रीमान् न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसमे प्रार्थीगण को सफलता प्राप्ति की पूर्ण आशा हैं। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 सहखातेदार हैं जिनकी सयुक्त आराजी कृषि भूमि हाल खाता संख्या 312 सम्वत 2071 से 2074 के अनुसार खसरा नम्बर 910 रकबा 3.02 हैक्टयर, खसरा नंम्बर 912/1 रकबा 0.02 हैक्टयर, खसरा नम्बर 913 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 914 रकबा 0.25 हैक्टयर, खसरा नम्बर 919 रकबा 0.81 हैक्टयर कुल किता 5 कुल रकबा 4.17 हैक्टयर वाके ग्राम मुहाना, पटवार हल्ला मुहाना कला, भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर मे स्थित हैं जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 80/405 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 का हिस्सा 135/405, अप्रार्थी संख्या 5 का हिस्सा 80/405, अप्रार्थी संख्या 6 का हिस्सा 110/1215, अप्रार्थी संख्या 7 का हिस्सा 110/1215 व अप्रार्थी संख्या 8 का हिस्सा 440/2430, राजस्व रिकार्ड रिकार्ड मे दर्ज हैं। अभी तक उक्त कृषि भूमि

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

ा विधिवत बटवारा नही हुआ हैं परन्तु प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 मनबट के आधार र बटवारा कर उक्त कृषि भूमि पर कृषि काश्त करते आ रहे हैं। प्रार्थी ने उक्त आराजीयात का टवारा करने के लिए कई बार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 से कहा परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 गायत 8 उक्त आराजीयात का बटवारा नहीं करना चाहते इस कारण प्रार्थी को अपनी सुविधा नुसार कृषि काश्त करने में कई प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड रहा हैं। अप्रार्थी ंख्या 1 लगायत 8 आये दिन प्रार्थी को धमकी देते हैं कि हम तुम्हारे कब्जे काश्त वाली भूमि र कब्जा करके उक्त आराजीयात पर पुख्ता निर्माण कर लेगें तथा उस पर निर्माण करके व ब्जा करके दिगर व्यक्यिों को विक्रय करके रहेगें इसके लिए आये दिन अप्रार्थी संख्या 1 गायत 8 दिगर व्यक्तियों को प्रार्थी के कब्जे काश्त वाली भूमि पर लाते हैं तथा विक्रय हेतु ातचीत करते हैं तथा मौके पर बार बार निर्माण कार्य करने की कौशिश करते रहते हैं। तथा प्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 बार बार विभिन्न लोगो को लाकर बेचने की कौशिश करते रहते है था धमकी देते है कि भू–माफिया लोगो के जोर पर मनमर्जी की कृषि भूमि पर कब्जा करवा देगे। विवादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 को कई बार तकासमा करने के लिए कहा लेकिन कोई ध्यान नही देते है तथा धमकी देते है कि सयुक्त स्वामित्व की कृषि भूमि है सब जगह के मालिक है जहां हमारी मर्जी होगी वही हम काबिज हो जायेगें। दिनांक 01.06.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 प्रार्थी के कब्जे काश्त वाली भूमि पर आये और निर्माण सामग्री डलवा दी तथा निर्माण करने के लिए नीव खोदने की कौशिश की जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 को मना किया तथा कहा कि आप पहले इस भूमि का तकासमा करवा लो बाद मे निर्माण कर लेना इस पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 आग बबूला हो गये तथा प्रार्थी को एलानिया धमकी दी कि हम तो हमारे जचे की वही पर निर्माण कार्य करेगें तथा तकासमा कराने के लिए कहा तो वह साफ मुकर गये तथा कहा कि हम कोई तकासमा नही करवायेगें तथा बिना तकासमा ही भूमि को विभिन्न व्यक्तियों को विक्रय कर देगें फिर उनसे निर्माण करवा देगे उनसे तकासमा करवाते रहना इस कारण प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ हैं। प्रार्थी बटवारा करवाने की अधिकारी हैं कि प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर दो मे वर्णित वादग्रस्त आराजीयात का बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस के आधार पर बटवारा कर प्रार्थी के हिस्सा 80/405 का अलग से खाता बनाया जाये और उसी अनुसार अप्रार्थीगण का भी तकासमा कर अलग से खाता बनाकर लगान निर्धारण किया जावे तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि जब तक उक्त आराजीयात का विधिवत बटवारा न हो जावे तब तक अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 प्रार्थी की कृषि भूमि में किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य कर कब्जा न करें ना ही प्रार्थी के शान्तीपर्ण उपयोग उपभोग कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा कारित न करें उक्त आराजीयात को कियी दिगर व्यक्ति के हक में किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित न करें ऐसा न स्वंय करें ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट परिवारजन आदि से करावे तथा अप्रार्थी संख्या 7 को राजस्व रिकार्ड की यथास्थिती बनाए रखने के लिए

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

न्द फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 7 को भू-धारक होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया ा है। वाद कारण दिनांक 01.06.2019 को अप्रार्थीगण द्वारा निर्माण कार्य करने की कोशिश ने तथा तकासमा करवाने से मना करने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। प्रथमदृष्टया केस सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे बखुबी साबित है। यदि अप्रार्थीगण अपने नापाक ादा मे कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण अपने वैध हक हकुको की वादग्रस्त आराजीयात से सदैव लिए महरूम हो जायेंगे जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति किसी रूप मे किया जाना सम्भव नही होगा।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि जब तक प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 मे वर्णित षि भूमि हाल खाता संख्या 312 सम्वत 2071 से 2074 के अनुसार खसरा नम्बर 910 रकबा 02 हैक्टयर, खसरा नंम्बर 912/1 रकबा 0.02 हैक्टयर, खसरा नम्बर 913 रकबा 0.07 हैक्टयर, सरा नम्बर 914 रकबा 0.25 हैक्टयर, खसरा नम्बर 919 रकबा 0.81 हैक्टयर कुल किता 5 ुल रकबा 4.17 हैक्टयर वाके ग्राम मुहाना, पटवार हल्का मुहाना कला, भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हाना तहसील सांगानेर आराजीयात का विधिवत बटवारा न हो जावे तब तक अप्रार्थी संख्या 1 गायत 8 वादग्रस्त कृषि भूमि मे किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य कर कब्जा न करें ा ही प्रार्थी के शान्तीपर्ण उपयोग उपभोग कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा कारित न करें क्त आराजीयात को किसी दिगर व्यक्ति के हक मे किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित न करें ऐसा स्वंय करें ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट परिवारजन आदि से करावे तथा अप्रार्थी संख्या सात को राजस्व रिकार्ड की यथास्थिती बनाए रखने के लिए पाबन्द फरमाया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील उभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश नही किया गया। दिनांक 19.02.2025 को अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किये जाने के आदेश दिये।

बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि जब तक प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 मे वर्णित कृषि भूमि हाल खाता संख्या 312 सम्वत 2071 से 2074 के अनुसार खसरा नम्बर 910 रकबा 3.02 हैक्टयर, खसरा नंम्बर 912/1 रकबा 0.02 हैक्टयर, खसरा नम्बर 913 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 914 रकबा 0.25 हैक्टयर, खसरा नम्बर 919 रकबा 0.81 हैक्टयर कुल किता 5 कुल रकबा 4.17 हैक्टयर वाके ग्राम मुहाना, पटवार हल्का मुहाना कला, भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर आराजीयात का विधिवत बटवारा न हो जावे तब तक अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 वादग्रस्त कृषि भूमि मे किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य कर कब्जा न करें ना ही प्रार्थी के शान्तीपर्ण उपयोग उपभोग कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा कारित न करें उक्त आराजीयात को किसी दिगर व्यक्ति के हक मे किसी भी प्रकार से

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

स्थानान्तरित न करें एवं न स्वयं करें या की अपने एजेन्ट, कर्मचारी परिवारजन आदि से करावें या अप्रार्थी संख्या सात को राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी तैयार करने के लिए पाबन्द करवाया जावे।

बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया। उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष निम्न तीन बिन्दु विचारणीय है (1) प्रथम दृष्टया मामला (2) सुविधा का संतुलन (3) अपूरणीय क्षति

(1) प्रथम दृष्टया मामला

वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की अविभाजित संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका आज तक कोई विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की संयुक्त खातेदारी दर्ज है, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 को उक्त वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार माना है और उक्त वादग्रस्त आराजी का विधिवत तकासमा आज दिनांक तक नहीं हुआ है इस तथ्य को भी स्वीकार किया है एवं सभी सहखातेदार अपनी सहुलियत के हिसाब से वादग्रस्त सम्पत्ति पर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में सफल रहा है, इसलिए उक्त बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता है।

(2) सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति

उक्त दोनों बिन्दूओं का सुविधा की दृष्टि से निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की संयुक्त खातेदारी दर्ज है, बिना विधिवत विभाजन करवाये किसी भी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार द्वारा विशिष्ट भू-भाग पर निर्माण कार्य कर लिया गया या विशिष्ट भू-भाग का विक्रय कर दिया गया तो वाद की बहुलता बढ़ेगी एवं प्रार्थी को ही अधिक असुविधा होगी तथा अपूर्णनीय क्षति भी प्रार्थी व अप्रार्थीगण को होगी।

उक्त तीनों बिन्दू प्रार्थी साबित करने में सफल रहा है इसलिए उसके पक्ष में तय किये गये है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर दिनांक 12.06.2019 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 को पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम मुहाना, पटवार हल्का मुहाना कला, भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर स्थित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि हाल खाता संख्या 312 सम्वत 2071 से 2074 के अनुसार खसरा नम्बर 910 रकबा 3.02 हैक्टयर, खसरा

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

नम्बर 912/1 रकबा 0.02 हैक्टयर, खसरा नम्बर 913 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 917 रकबा 0.25 हैक्टयर, खसरा नम्बर 919 रकबा 0.81 हैक्टयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.47 हैक्टयर में जब तक विधिवत बटवारा नही हो जाता तब तक वादग्रस्त भूमि में मौके की यथास्थिति बनाये रखे, ना ही किसी प्रकार कच्चा-पक्का निर्माण कार्य करे। ना ही प्रार्थी के शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग कब्जो काश्त मे किसी प्रकार की बाधा कारित न करे तथा आराजीयात को किसी दिगर व्यक्ति के हक मे किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित न करे ऐसा न स्वयं करे ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट परिवारजन आदि से कराये। पत्रावली दर्ज नम्बर से खारिज होकर बाद तकमील दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर), जयपुर